राकेश सिंह ने थामा भाजपा का दामन

पटवारी और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी पर गंभीर आरोप लगाने के बाद दे दिया था इस्तीफा

भाजपा में आते ही प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी मिली

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 9 जुलाई. मालवा क्षेत्र विशेष रूप से इंदौर के कद्दावर कांग्रेस नेता राकेश सिंह यादव ने गुरुवार को भाजपा का दामन थाम लिया. भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई.

यादव ने पिछले दिनों कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए थे. उसके बाद उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से चार दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया था. इधर कांग्रेस ने भी प्रदेश प्रभारी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर आरोप लगाने के बाद यादव पर सख्ती दिखाते हुए अनुशासन का चाबुक चलाया और उन्हें कांग्रेस से निष्कासित कर दिया था. तब से ही उनके भाजपा में जाने की अटकलें लगने लगी थीं. प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी इस संबंध में संकेत दिए थे. राकेश सिंह यादव लगभग 30 वर्षों तक कांग्रेस से जुड़े रहे. इस दौरान उन्होंने दो बार कांग्रेस के प्रदेश महासचिव जैसे बड़े पद की जिम्मेदारी का निर्वहन किया. इसके अलावा वे सचिव और प्रदेश प्रवक्ता की भी जिम्मेदारी निभा चुके हैं. पिछले दिनों उन्होंने प्रदेश नेतृत्व पर गंभीर सवाल उठाए थे.

> हरीश चौधरी पर उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान हरियाणा में टिकट तक बेचने का आरोप जड़ दिया था. उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी सवाल उठाए थे. नेतृत्व को लेकर उनके लगातार विद्रोही तेवर बने हुए थे, उन्हें कांग्रेस में जमीनी कार्यकर्ताओं की आवाज संगठन के सामने बेबाकी रूप से रखने वाले नेता के रूप में भी जाना जाता है. उनकी यही बेबाकी कांग्रेस से दूरी की वजह भी बन गई. अब उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया. खंडेलवाल ने बाद में यादव को तत्काल ही प्रदेश प्रवक्ता बनाने की घोषणा भी की.

खाली सीटों की जानकारी देगा कॉलेज

स्टाफ फोन के माध्यम से विद्यार्थियों से व्यक्तिगत संपर्क करेगा

मप्र उच्च शिक्षा विभाग

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 9 जुलाई. प्रदेश के कॉलेजों में दाखिले की रफ्तार बढ़ाने और अतिरिक्त सीएलसी (कॉलेज लेवल काउंसलिंग) राउंड के दौरान खाली पड़ी सीटों को भरने के लिए उच्च शिक्षा विभाग एक्शन मोड में है.

बता दें विभाग ने इस पूरी प्रक्रिया को मिशन मोड में संचालित करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं. नए आदेश के तहत अब कॉलेजों को केवल छात्रों के आने का इंतजार नहीं करेंगे. बल्कि कॉलेज प्रबंधन खुद आगे बढ़कर उन छात्रों से संपर्क करेगा. जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो कराया है लेकिन किन्हीं कारणों से उनका एडमिशन अधूरा रह गया है. उच्च शिक्षा आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक महाविद्यालय को हर दिन अपने पोर्टल पर लंबित पंजीयन, अटके हुए सत्यापन और ऑफर लेटर मिलने के बाद भी फीस जमा न करने वाले छात्र-छात्राओं की सूची का विश्लेषण करना होगा.

हर दिन होगी प्रवेश प्रगति की समीक्षा

जिसके बाद कॉलेज स्टाफ रोजाना फोन के माध्यम से ऐसे विद्यार्थियों से व्यक्तिगत संपर्क करेगा. साथ ही उनकी समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करते हुए उन्हें प्रवेश के लिए प्रेरित करेगा. जिन छात्र छात्राओं को कॉलेज की तरफ से प्रवेश का ऑफर मिल चुका है. उनसे तत्काल संपर्क कर निर्धारित समय सीमा में ऑनलाइन फीस भुगतान सुनिश्चित कराने को कहा गया है, ताकि उनका दाखिला पक्का हो सके. इसके साथ ही विभाग ने हर दिन प्राचार्य की अध्यक्षता में प्रवेश प्रगति की समीक्षा करने को कहा है.

एक नजर में

महाकाल की श्रावण सवारी 3 अगस्त को निकलेगी

उज्जैन. मध्यप्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर मंदिर और सवारी मार्गों पर चौड़ीकरण एवं निर्माण कार्य जारी रहने के बीच भगवान श्री महाकाल की पारंपरिक श्रावण-भादौ मास की पहली सवारी तीन अगस्त को निकलेगी. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस वर्ष भगवान महाकाल की कुल छह सवारियां निकाली जाएंगी. पहली सवारी तीन अगस्त को, दूसरी 10 अगस्त, तीसरी 17 अगस्त, चौथी 24 अगस्त, पांचवीं 31 अगस्त तथा अंतिम शाही सवारी सात सितंबर को निकलेगी. सूत्रों ने बताया कि मानसून शुरू होने के बावजूद महाकालेश्वर मंदिर क्षेत्र तथा शहर के कई आंतरिक मार्गों पर चौड़ीकरण और निर्माण कार्य जारी हैं.

270 बेसहारा लोगों का का डिजिटल रिकॉर्ड

भोपाल. यात्रियों की सुरक्षा के साथ मानवीय सरोकारों को प्राथमिकता देते हुए मध्यप्रदेश शासन रेलवे पुलिस (जीआरपी) द्वारा संचालित विशेष अभियान 'ऑपरेशन हमदर्द' के तहत रेलवे स्टेशनों पर रहने वाले बेसहारा, लापता एवं जरूरतमंद लोगों की पहचान कर उन्हें परिवारों से मिलाने और पुनर्वास दिलाने का अभियान लगातार सफल हो रहा है. एक जुलाई से 31 जुलाई तक चल रहे इस अभियान के अंतर्गत अब तक 270 संवेदनशील व्यक्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा चुका है.

जुलाई की झमाझम बारिश से बदली एमपी की तस्वीर

जून में सामान्य से लगभग 30 प्रतिशत कम वर्षा हुई थी

अब प्रदेश में सामान्य से 10% अधिक बारिश

भोपाल, 9 जुलाई. मध्य प्रदेश में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और जुलाई की झमाझम बारिश ने जून में हुई वर्षा की कमी की भरपाई कर दी है. प्रदेश में अब तक 223.7 मिमी वर्षा दर्ज की गई है, जो सामान्य औसत से लगभग 10 प्रतिशत अधिक है.

मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार को भिंड जिले में अति भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, राजगढ़, आगर-मालवा और रतलाम सहित कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट लागू है.

राजधानी भोपाल समेत नर्मदापुरम, इंदौर, जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल और अन्य जिलों में भी वर्षा का सिलसिला जारी रहने की संभावना है. बीते 24 घंटों के दौरान दमोह, नर्मदापुरम, खजुराहो और टीकमगढ़ सहित अनेक क्षेत्रों में अच्छी बारिश दर्ज की गई. लगातार हो रही वर्षा से तापमान में भी गिरावट आई है और अधिकांश शहरों में दिन का तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है.

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, जून में सामान्य से लगभग 30 प्रतिशत कम वर्षा हुई थी, लेकिन जुलाई के शुरुआती दिनों में सक्रिय हुए मानसून ने स्थिति को पूरी तरह बदल दिया है.

> पश्चिमी मध्य प्रदेश में सामान्य से लगभग 30 प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज की गई है, जबकि पूर्वी हिस्से में अभी भी कुछ कमी बनी हुई है. आने वाले दिनों में भी प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं.

हर तीन साल में बदलेंगे विभागाध्यक्ष

इस प्रक्रिया के तहत प्रोफेसर को पद से हटाया नहीं जाएगा

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 9 जुलाई. प्रदेश समेत देश भर के स्नातकोत्तर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेजों के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है. अब इन कॉलेजों के विभागों में यदि एक से अधिक प्रोफेसर कार्यरत हैं, तो हर 3 साल में बारी-बारी से विभागाध्यक्ष का पद बदला जाएगा.

बता दें इस नए नियम के लागू होने से प्रत्येक प्रोफेसर को विभागाध्यक्ष बनने का समान अवसर मिल सकेगा. भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के बोर्ड ऑफ आयुर्वेद के सदस्य डॉ अतुल बी वार्ष्णेय द्वारा इस संबंध में एक आधिकारिक सर्कुलर जारी किया गया है. सर्कुलर में यह पूरी तरह स्पष्ट किया गया है, कि इस प्रक्रिया के तहत किसी भी प्रोफेसर को पद से हटाया नहीं जाएगा, बल्कि सभी की वरिष्ठता का सम्मान करते हुए उन्हें 3 साल के लिए यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी. वहीं इस नियम का पालन करना सभी आयुर्वेद कॉलेजों के लिए अनिवार्य होगा. यदि कोई कॉलेज इस व्यवस्था को लागू करने में आनाकानी करता है, तो इसे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और एनसी आई एसएम अधिनियम 2020 के तहत सख्त दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी.

मप्र के कॉलेजों और प्रोफेसर्स पर दिखेगा असर

बता दें प्रदेश में कई प्रमुख शासकीय और निजी स्नातकोत्तर आयुर्वेद कॉलेज संचालित हो रहे हैं. जहां लंबे समय से यह समस्या देखी जा रही थी. जिसको लेकर आयुष मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ राकेश पाण्डेय ने कहा कि पहले विभागों में सीनियर प्रोफेसर्स के जमे रहने के कारण अन्य योग्य प्रोफेसर्स विभागाध्यक्ष पद के अनुभव से वंचित रह जाते थे. लेकिन अब इस हितकारी निर्णय से मध्य प्रदेश के आयुर्वेद कॉलेजों में कार्यरत प्रोफेसर्स के करियर को नई उड़ान मिलेगी.

उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन का भूमिपूजन आज

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 9 जुलाई.मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मप्र के सड़क अधोसंरचना विकास में 10 जुलाई को एक और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ने जा रहा है. इस दिन उज्जै-जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन मार्ग परियोजना का भूमि पूजन होगा.

98.73 किलोमीटर लंबी इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण 5,017 करोड़ रुपये की लागत से मप्र सड़क विकास निगम द्वारा किया जाएगा. यह परियोजना उज्जैन दक्षिण, घट्टिया, नागदा-खाचरौद, आलोट एवं जावरा विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी. दो वर्ष में पूर्ण होने वाली इस परियोजना से लगभग 35 लाख आबादी तथा 62 ग्राम प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे. इस मार्ग के निर्माण से उज्जैन को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से सीधा एवं तेज संपर्क मिलेगा. सिंहस्थ-2028 के दौरान राजस्थान, गुजरात तथा देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के लिए यह मार्ग अत्यंत सुगम और सुविधाजनक साबित होगा.

बीज उपचार मामले में डीलर और कंपनी संचालक पर एफआईआर

धार, 9 जुलाई. जिले के बदनावर तहसील स्थित ग्राम दत्तीगारा में अमानक बीज उपचार दवा के उपयोग से सोयाबीन फसल प्रभावित होने के मामले में कृषि विभाग ने संबंधित डीलर और कंपनी संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है.

विभाग ने डीलर का कीटनाशी विक्रय लाइसेंस निलंबित कर दवा का स्टॉक भी जब्त कर लिया है. कृषि विभाग के अनुसार ग्राम दत्तीगारा के किसान प्रहलाद सिंह राठौर सहित क्षेत्र के 35 से अधिक किसानों ने सोयाबीन बीज उपचार के लिए 'बरदान' नामक दवा का उपयोग किया था. इसके बाद किसानों ने शिकायत की कि फसल का अंकुरण प्रभावित हुआ है और पौधों की वृद्धि सामान्य नहीं हो रही है. शिकायत मिलने पर कृषि विभाग की टीम ने कानवन स्थित महावीर इंटरप्राइजेस का निरीक्षण किया. जांच में अनियमितताएं पाए जाने पर फर्म का कीटनाशी विक्रय लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया तथा 'बरदान' दवा का पूरा स्टॉक जब्त कर लिया गया. दवा के नमूने गुणवत्ता परीक्षण के लिए फरीदाबाद स्थित केंद्रीय प्रयोगशाला भेजे गए हैं. विभाग की टीमें प्रभावित किसानों के खेतों का सर्वे भी कर रही हैं.

अधिकारियों, कर्मचारियों को मिली पदोन्नति

जेल मुख्यालय ने किए पदोन्नति आदेश जारी

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 9 जुलाई. मध्यप्रदेश शासन के पदोन्नति संबंधी निर्णय के अनुपालन में जेल विभाग में लगभग 10 वर्षों के अंतराल के बाद अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है. जेल मुख्यालय द्वारा विभिन्न संवर्गों के पात्र अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदोन्नति आदेश जारी किए गए हैं.

यह निर्णय विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मनोबल को सुदृढ़ करने के साथ-साथ प्रशासनिक दक्षता एवं कार्यकुशलता को और अधिक प्रभावी बनाएगा.

> आगामी समय में अन्य पात्र अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदोन्नति आदेश भी चरणबद्ध रूप से जारी किए जाएंगे, ताकि प्रत्येक पात्र अधिकारी एवं कर्मचारी को समय पर पदोन्नति का लाभ मिल सके. महानिदेशक जेल वरुण कपूर ने सभी पदोन्नत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पदोन्नति केवल अधिकार नहीं, बल्कि अधिक उत्तरदायित्व के साथ कार्य करने का अवसर भी है. उन्होंने अपेक्षा

जेल मुख्यालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सहायक ग्रेड-1, स्टेनो टाइपिस्ट, लेखापाल, उप अधीक्षक (उद्योग), वरिष्ठ बुनाई प्रशिक्षक, वरिष्ठ बढ़ई गिरी प्रशिक्षक, दफ्तरी तथा जमादार के पदों पर पात्र अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है. पदोन्नति आदेश जारी होने के साथ ही संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके नवीन पदों के अनुरूप दायित्व सौंपने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है. जेल विभाग द्वारा पदोन्नति की संपूर्ण प्रक्रिया शासन के निर्देशों के अनुरूप पारदर्शी, निष्पक्ष एवं समयबद्ध ढंग से संचालित की जा रही है. विभाग पात्र अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदोन्नति प्रकरणों का निरंतर परीक्षण एवं निराकरण कर रहा है.

स्कूल बसों, वैन के चेकिंग का अभियान शुरू

17 तक चलेगा अभियान

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 9 जुलाई. प्रदेश में स्कूली बच्चों की सुरक्षित एवं व्यवस्थित आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मप्र पुलिस एवं परिवहन विभाग के समन्वय से 8 से 17 जुलाई तक विशेष स्कूल बस चेकिंग अभियान संचालित किया जा रहा है.

दस दिवसीय इस अभियान के दौरान प्रदेश के सभी जिलों में स्कूल बसों, वैन एवं अन्य स्कूली वाहनों का व्यापक निरीक्षण किया जाएगा. अभियान का उद्देश्य स्कूली वाहनों में निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी कार्रवाई करना है. अभियान के तहत वाहनों की फिटनेस, वैध परमिट, पंजीयन, बीमा, प्रदूषण प्रमाण-पत्र, चालक का वैध ड्राइविंग लाइसेंस, परिचालक की उपलब्धता, जीपीएस, फर्स्ट-एड बॉक्स, अग्निशामक यंत्र, आपातकालीन निकास, सीसीटीवी, निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों का परिवहन तथा अन्य आवश्यक सुरक्षा प्रावधानों की गहन जांच की जाएगी. इसके साथ ही चालक के आचरण, वाहन संचालन की सुरक्षित पद्धति एवं मोटरयान अधिनियम तथा केंद्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा स्कूल वाहनों के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुपालन की भी समीक्षा की जाएगी. जांच के दौरान निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वाले वाहनों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार चालानी कार्रवाई सहित आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

बस संचालकों से अपील

मप्र पुलिस ने सभी बस संचालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों में निर्धारित सभी सुरक्षा उपकरण सदैव क्रियाशील एवं अद्यतन रखें तथा मोटरयान अधिनियम एवं यातायात नियमों का पूर्णतः पालन करें. प्रदेशवासियों से भी आग्रह किया गया है कि वे केवल वैध एवं सुरक्षित लोक परिवहन सेवाओं का ही उपयोग करें.

जाति प्रमाण पत्र मामले में हो निष्पक्ष जांच

विशेष संवाददाता

भोपाल, 9 जुलाई. मध्य प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण पत्र से जुड़े मामले में निष्पक्ष, पारदर्शी और तथ्यों पर आधारित जांच की मांग की है.

उन्होंने कहा कि उनकी शिकायत दस्तावेजी साक्ष्यों और उपलब्ध अभिलेखों पर आधारित है तथा जांच प्रक्रिया किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव से मुक्त होनी चाहिए. प्रदीप अहिरवार ने आरोप लगाया कि राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी छह अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस मामले की जांच को प्रभावित करने का प्रयास कर चुकी हैं. उनका दावा है कि इससे यह आशंका उत्पन्न हुई है कि जांच समिति पर राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है, जिससे जांच की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है.

> उन्होंने कहा कि यदि सरकार के दबाव में कोई निर्णय लिया जाता है तो इससे अनुसूचित जाति वर्ग के संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा. अहिरवार ने स्पष्ट किया कि यदि जांच निष्पक्ष नहीं हुई तो कांग्रेस न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी और आवश्यकता पड़ने पर उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में भी याचिका दायर की जाएगी. पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन भी करेगी. उनका आग्रह है कि जांच समिति केवल उपलब्ध साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर निर्णय ले, ताकि संविधान और न्यायिक प्रक्रिया में जनता का विश्वास कायम रहे.

भाभी की पेट्रोल डालकर हत्या करने वाले देवर को उम्रकैद

ग्वालियर. शहर में साझा मकान के बंटवारे के विवाद में अपनी भाभी पर पेट्रोल डालकर आग लगाने और उनकी हत्या करने के मामले में स्थानीय अदालत ने आरोपी देवर को आजीवन कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष के अनुसार चैबीसवें अतिरिक्त सत्र एवं विशेष न्यायाधीश (महिलाओं के विरुद्ध अपराध) केशव सिंह की अदालत ने आरोपी मनोज माहौर को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई.

एम्बुलेंस नहीं पहुंची, महिला ने रास्ते में दिया शिशु को जन्म

शिवपुरी. जिले के बैराड़ क्षेत्र में समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचने के कारण प्रसव पीड़ा से गुजर रही एक आदिवासी महिला ने स्वास्थ्य केंद्र ले जाते समय रास्ते में ही शिशु को जन्म दे दिया. बाद में तहसीलदार ने जच्चा-बच्चा को अपनी गाड़ी से स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. पोहरी अनुविभाग के ग्राम राजपुरा निवासी आदिवासी महिला संजू को आज प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने 108 एम्बुलेंस को सूचना दी, लेकिन समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचने पर उसे मोटरसाइकिल से बैराड़ स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जाने लगा.

नाम सुधार सूचना

मै मनोज कुमार चौधरी उम्र 34 वर्ष पिता श्री जौहरिया चौधरी निवासी ग्राम रेरूआ कलॉ पोस्ट पतवारा तह.नागौद जिला सतना म.प्र. का होकर बहलफ सूचित कर रहा हूं कि मेरा पुत्र प्रशांत चौधरी पियूचर पब्लिक स्कूल नागौद जिला सतना म.प्र.से कक्षा 3 की परीक्षा उत्तीर्ण हुआ है. मेरे पुत्र प्रशांत के स्कूल रिकार्ड व कक्षा 1,2,व 3 की अंकसूची में उसका नाम प्रशांत चर्मकार पिता मनोज कुमार चर्मकार व माता अर्चना चर्मकार दर्ज हो गया है जो कि गलत है जबकि सही नाम प्रशांत चौधरी पिता मनोज कुमार चौधरी व माता का नाम अर्चना चौधरी है जो उसके आधार कार्ड व जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज है. अतः उसके स्कूल रिकार्ड व सभी कक्षा की अंकसूची में दर्ज नाम प्रशांत चर्मकार पिता मनोज कुमार चर्मकार व माता अर्चना चर्मकार के स्थान पर सही नाम प्रशांत चौधरी पिता मनोज कुमार चौधरी व माता का नाम अर्चना चौधरी दर्ज किया जाए जो सत्य एवं सही है.

आरोप | सरदार सरोवर बांध परियोजना पर श्वेत पत्र जारी करे सरकार

मध्यप्रदेश की जीवन रेखा से समझौता

विशेष संवाददाता

भोपाल, 9 जुलाई. मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने गुरुवार को सरदार सरोवर बांध परियोजना को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूरे मामले पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की.

उन्होंने कहा कि नर्मदा, जो मध्यप्रदेश की जीवन रेखा है, उससे जुड़े मुद्दों पर सरकार ने प्रदेश के हितों से समझौता किया है. पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि सरदार सरोवर परियोजना के संबंध में किसानों, विस्थापितों और प्रदेश की जनता के हितों की अनदेखी की गई. उन्होंने सवाल उठाया कि परियोजना से जुड़े 76.69 करोड़ रुपये के दावे को किन परिस्थितियों में वापस लिया गया तथा गुजरात के साथ हुए वित्तीय समझौते की पूरी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए.

उन्होंने आरोप लगाया कि सरदार सरोवर परियोजना का सबसे अधिक असर मध्यप्रदेश पर पड़ा है. बड़ी संख्या में कृषि भूमि, वन क्षेत्र और पर्यावरण प्रभावित हुए तथा हजारों परिवारों का विस्थापन हुआ, लेकिन राज्य सरकार प्रदेश के अधिकारों की रक्षा करने में विफल रही.

उन्होंने मांग की कि परियोजना से जुड़े सभी वित्तीय और कानूनी मामलों पर विधानसभा में विस्तृत चर्चा कराई जाए.

> जीतू पटवारी ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार, बढ़ते कर्ज, कमजोर प्रशासन और शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग तथा रोजगार के क्षेत्रों में स्पष्ट विकास नीति के अभाव का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि जनकल्याण की बजाय सरकारी धन का उपयोग प्रचार-प्रसार पर किया जा रहा है. शिक्षा के मुद्दे पर उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में बड़ी संख्या में स्कूल बंद किए गए हैं और किंडरगार्टन से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक निःशुल्क शिक्षा लागू करने की मांग दोहराई. उन्होंने घोषणा की कि कांग्रेस 15 जुलाई को मुख्यमंत्री निवास के बाहर प्रदर्शन करेगी तथा कथित भ्रष्टाचार और नर्मदा से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाबदेही तय कराने के लिए अपना आंदोलन जारी रखेगी.

पेज एक का शेष

हमें जूते छोड़ने की जरूरत नहीं : डॉ. यादव

'जूते-चप्पल छोड़ना उनका काम है. उनकी सरकार पिछले 20 साल से नहीं है. एक बार सरकार बनी भी तो सवा साल में चली गई. हम विकास करने वाले लोग हैं.' उन्होंने आगे कहा कि आज देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है और विकास के रास्ते पर निरंतर काम हो रहा है.

सड़क नहीं बनी तो जूते-चप्पल त्याग दूंगा -विधायक का यह बयान सुनकर मंच पर मौजूद मोहन यादव कुछ असहज नजर आए. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने तत्काल मंत्री इंदर सिंह परमार की ओर इशारा किया. इसके बाद मंत्री इंदर सिंह परमार विधायक घनश्याम चंद्रवंशी के पास पहुंचे और उन्हें शांत कराते हुए दूसरे विषय पर बात करने का आग्रह किया. विधायक का यह बयान अब राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है. इसे क्षेत्र की सड़कों की खराब स्थिति पर जनप्रतिनिधि की नाराजगी और सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है.

जीतू पटवारी के छोटे भाई पुलिस हिरासत में

जांच में मानव गंगवानी का नाम भी सामने आया है. पुलिस का कहना है कि पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने के लिए पूछताछ जारी है. पुलिस ने हाल ही में इरफान खान और रानी भाई को 10.1 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया था, दोनों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई. पूछताछ के दौरान आरोपियों ने पुलिस को बताया कि जब्त की गई ब्राउन शुगर की खेप इंदौर में नाना पटवारी और मानव गंगवानी तक पहुंचाई जानी थी. इस जानकारी के बाद... पुलिस ने नाना पटवारी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी. जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि नाना पटवारी की भूमिका केवल कथित खरीदार की थी या वह ड्रग नेटवर्क की किसी अन्य कड़ी से भी जुड़ा हुआ है. पुलिस पूरे सप्लाई चैन की पड़ताल कर रही है और पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है. ड्रग्स तस्करी के मामले में गिरफ्तार पैडलर्स से मिली जानकारी के आधार पर आगे की जांच की जा रही है. पुलिस केवल गिरफ्तार आरोपियों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे बैकवर्ड और फॉरवर्ड नेटवर्क की कड़ियां जोड़कर इस रैकेट से जुड़े हर व्यक्ति की भूमिका की जांच कर रही है.

न्यायालय अपर कलेक्टर एवं विशेष विवाह अधिकारी जिला- मैहर (म.प्र.)

क्र./638/विशेष विवाह/2026 मैहर दिनांक 02/06/2026

// सार्वजनिक सूचना //

विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 6 के तहत

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक रामबाबू कुशवाहा पिता श्री प्रेमलाल कुशवाहा उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम धतूरा पो.पोड़ी तहसील मैहर जिला मैहर म.प्र. एवं आवेदिका मुन्नी कुशवाहा पिता स्व.श्री साहबदास उर्फ साहबलाल कुशवाहा उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम इटमा तहसील मैहर जिला मैहर म.प्र. के द्वारा समक्ष में उपस्थित होकर विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 5 के अंतर्गत विशेष विवाह अनुष्ठापन हेतु आवेदन दिनांक 29/05/2026 को प्रस्तुत किया गया है।

उक्त प्रस्तावित विवाह अनुष्ठापन के विरुद्ध यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह आपत्ति लिखित रूप में इस न्यायालय में दिनांक 15/07/2026 को या इसके पूर्व न्यायालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। अवधि समाप्त होने के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 29/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

अपर कलेक्टर
एवं विशेष विवाह अधिकारी
जिला-मैहर (म.प्र.)